आवश्यक

संख्या:37/2020/1925/12-2-2020-एफ.58/2008

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2020

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था, कराने, उर्वरकों का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैश मेमों/ पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/1252-2020-एफ.58/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन रसायनिक उर्वरकों के भण्डारण की व्यवस्था तथा उर्वरकों का वितरण, मांग एवं आपूर्ति को सही ढंग से सुनिश्चित कराते हुए प्राप्त/उपलब्ध समस्त प्रकार के उर्वरकों के आवंटन एवं वितरण की नियमित रूप से समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2020-21 की मुख्य फसल गेहूँ एवं अन्य फसलों की बुआई का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। वर्तमान समय में प्रदेश के अन्दर रबी 2020-21 हेतु रसायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। फसल सीजन में असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र में तस्करी किए जाने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा तस्करी पर नियंत्रण करना अतिआवश्यक है। अत: इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये:-

(1) जनपद में आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी कृषि जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड/आधार पंजीकरण संख्या के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा की जाये एवं समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाये गए प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) समस्त उर्वरकों की बिक्री निजी क्षेत्र, सहकारिता एवं अन्य बिक्री केन्द्रों के द्वारा शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित दर/मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये। पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री नहीं करने तथा क्रेता कृषकों को पी0ओ0एस0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मशीन से निकलने वाली पर्ची नहीं देने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

(3) एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था की गयी है। उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेंट होता है, वैसे ही ऑन लाइन प्रणाली को भी अद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(4) प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद बुक का होना आवश्यक है। जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन रेट/स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाय।

(5) कृषकों के आधार संख्या के आधार पर ही वितरण सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आधार पंजीकरण/इनरोलमेंट संख्या का प्रयोग किया जाता है तो उसका विवरण जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर आदि पोर्टल पर एवं कैश रसीद पर सही-सही अवश्य अंकित कराया जाये।

(6) प्रत्येक सप्ताह जनपद के टॉप-20 बायर्स/फ्रिक्वेन्ट बायर्स (क्रेता) की सूची एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त कर पूर्व में निर्गत आदेशानुसार सूची का परीक्षण करा लें तथा संदिग्ध प्रकरणों की टीम गठित करते हुए स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करायी जाये व आख्या शासन/निदेशालय को भेजी जाए।

(7) यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स उर्वरक के बोरों पर अंकित अधिकतम खुदारा मूल्य के अन्तर्गत बिक्री सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाये तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(8) निरीक्षण के समय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स के अतिरिक्त मिश्रित उर्वरक, जिंक सल्फेट एवं जैव उर्वरक आदि के भी नमूनें अधिक से अधिक संख्या में लिए जायें ताकि कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध हो सके। ग्रहित नमूनों का परीक्षण प्राथमिकता पर कराते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर यथोचित समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(9) भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 05 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण-पत्रों के निर्गमन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाय कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र क्रियाशील न रहे। साथ ही इन जनपदों में अन्तराष्ट्रीय सीमा से अवैध परिसंचलन पर भी पुलिस एवं स्टेट इन्सेस्टिगेशन ब्यूरो ,एस0आई0बी0) के द्वारा सतर्क दृष्टिगत रखी जाये एवं अवैध परिसंचलन को कठोरता से रोका जाय।

(10) कृषकों को उनकी जोत के अनुसार एवं फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाये ताकि मंहगे उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में दुरूपयोग को नियंत्रत किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा सस्ते एन0पी0के0 अथवा नकली उर्वरक तैयार करके डी0ए0पी0 के बैग में भरकर मंहगी दरों पर बेचने का प्रयास किया जाता है, ऐसी परिसर/स्थानों पर निगरानी रखी जाये तथा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर छापेमारी की जाये तथा दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(12) यदि कोई उर्वरक विक्रेता कृषकों को मुख्य उर्वरक तथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 मिश्रित उर्वरक, काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी खरीदने हेतु बाध्य करता है तो संबंधित के विरूद्ध भी आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सहित अन्य प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाय, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाता है। बाध्यता की पुष्टि होने पर संबंधित उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता के विरूद्ध भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय, क्योंकि इस प्रकार के कम प्रचलित उर्वरक टैग किए जाने एवं उनका समय से विक्रय न होने के कारण प्रमुख उर्वरकों के मूल्य प्रभावित होते हैं और कालाबाजारी को बढावा मिलता है। इस पर विशेष बल दिया जाय, ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

(13) जनपदों में डीलरों द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के डीलर को विक्रय किया जाता है, जिसे कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता होते हुए भी कृत्रिम कमी का सामना करना पडता है। यह स्थिति उर्वरक (नियंत्रण) आदेश,1985 एवं उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 का स्पष्ट उल्लंघन है, वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर से प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत उर्वरक आपूर्ति/विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जनपद हेतु जरी किए गए उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत किसी भी प्रकार के उर्वरकों का संचलन अनुचित है एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण), 1973 का उल्लंघन है।

(14) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के अनुसार जनपद में आवक होने पर विभिन्न फुटकर/रिटेल विक्रेताओं में वितरण जिलाधिकारी के नेतृत्व में सुनिश्चित हो।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:37/2020/1925(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एगो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त राज्य विपणन प्रबंधक/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।